05/01/26 आज पर पत्रावली वास्ते आदेश
हेतु पेश हुयी। वकीलान पक्षकार उपस्थित
होकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।
वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी मुताबिक
कुर्रा रिपोर्ट के आधार पर डिक्री
किया जाता है। विरुद्ध निर्णय अलग से
लिखा जाकर आदेश किया गया। पत्रावली
खतौनी मुताबिक डिक्री अमल दरामद हो।
बाद डिक्री दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला–कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :–रामकिशोर मीना आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर :– 56 / 2024
दायर दिनांक :– 24.09.2024
निर्णय दिनांक :– 05/01/26

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति अहीर निवासी बहरोड़ तहसील बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़) ....वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र धम्मल जाति अहीर निवासी मीरो का मौहल्ला बहरोड़ तहसील बहरोड़।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़) ....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी व हुक्म इम्तनाई दवामी बाबत आराजी हाल खसरा नम्बर 429 / 310 रकबा 0.1530 वाकै ग्राम झारोडा तहसील बहरोड़।

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार यादव (प्रथम) अधिवक्ता वादी
2. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश कि गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 429 / 310 रकबा 0.1530 वाके ग्राम कारोडा तहसील बहरोड़ के स्थित है। आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 429 / 310 रकबा 0.1530 वाके ग्राम कारोडा तहसील बहरोड वादी व प्रतिजवादी सं01 की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। जो आराजी मुतनाजा में वादीका 47 / 84 हिस्सा है व प्रतिवादी स.1 राजेन्द्र का 37 / 84 हिस्सा है जो आराजी मुतनाजा पक्षकरान के दरम्यान बिना बटी हुयी आराजी है। जिसे पक्षकारान मौके पर बाहमी तौर पर अपने अपने हक व हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर शामलात में ही काश्त व हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करते चले आर है व काबिज है। उपरोक्त आराजी का विधिवत रूप से बटवारा कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के हिस्साब से बटवारा करने की कृपा करे।

उपरोक्त वाद पत्र को दिनांक 15.01.2025 को प्रतिवादी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्राथमिक डिक्री जारी पर विवादित आराजी को मौके पर विभाजन करन विभाजन प्रस्ताव तैयार बहरोड द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेशो कि पालना में तहसीलदार बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक / राजस्व / 2025 / 286 दिनांक 06.03.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को पत्रवाली में शामील मिसल कर उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुना गया। दिनांक 05.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता के उपस्थित आये और एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकुलाय को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर सुनवाई का अवर दिया जाकर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बहरोड को मौके पर वादी एवं प्रतिवादी कि उपस्थिती में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार बहरोड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक / राजस्व / 2025 / 1537 दिनांक 16.10.2025 से पुनः कूर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

गई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.11.2025 को आपत्ती प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे दिनांक 18.12.2025 को उनके अधिवक्ता द्वारा आपत्ती प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस कर कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की गई।

हमारे द्वारा वकुलाय कि बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान के वकुलाय ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई जिससे दिनांक 18.12.2025 को नोट प्रेस कर ली गई तथा विभाजन प्रस्ताव को सही होना स्वीकार कर बहस कि गई। आपत्ती प्रार्थना पत्र पर नोट–प्रेस के हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र पर किये। जिस सूरत में हम वाद पत्र को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 के आधार पर डिक्री किया जाना उचित है।

–: आदेश :–

अतः वाद पत्र मुताबिक डिक्री मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात/विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है :–

1. आराजी खसररा नम्बर 429/310/1 रकबा 0.0856 हैक्टेयर वाके ग्राम झारोडा में नरेन्द्र कुमार पुत्र होशियारसिंह जाति अहीर खातेदार काश्तकार रहेगा।
2. आराजी खसरा नम्बर 429/310/1 रकबा 0.0674 हैक्टेयर वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड में राजेन्द्र पुत्र धम्मल जाति अहीर सा.देह खातेदार काश्तकार रहेगा।
3. उपरोक्तानुसा हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस डिक्री का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 05.01.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला–कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :–रामकिशोर मीना आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर :– 56 / 2024
दायर दिनांक :– 24.09.2024
निर्णय दिनांक :– 05/01/26

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति अहीर निवासी बहरोड़ तहसील बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़) ....**वादी**

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र धम्मल जाति अहीर निवासी मीरो का मौहल्ला बहरोड़ तहसील बहरोड़।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़) ....**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत तकसीम आराजी व हुक्म इम्तनाई दवामी बाबत आराजी हाल खसरा नम्बर 429 / 310 रकबा 0.1530 वाकै ग्राम झारोडा तहसील बहरोड़।

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार यादव (प्रथम) अधिवक्ता वादी
2. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश कि गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। वाद पत्र मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात / विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.2025 के आधार पर निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है :–

1. आराजी खसररा नम्बर 429 / 310 / 1 रकबा 0.0856 हैक्टेयर वाके ग्राम झारोडा में नरेन्द्र कुमार पुत्र होशियारसिंह जाति अहीर खातेदार काश्तकार रहेगा।
2. आराजी खसरा नम्बर 429 / 310 / 2 रकबा 0.0674 हैक्टेयर वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड में राजेन्द्र पुत्र धम्मल जाति अहीर सा.देह खातेदार काश्तकार रहेगा।
3. उपरोक्तानुसा हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस डिक्री का भाग रहेगा।

आज दिनांक 05.01.2025 को यह निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)